मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 2 मार्च, 2023 (फाल्गुन 11, 1944)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री,** दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन्स एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश वित्त निगम का 67 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, एवं

(ख) मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री,** मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार- मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री,** मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-2-6-2019-सात-शा-7, दिनांक 10 जनवरी, 2023 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री,** खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान उमरिया, नीमच, ग्वालियर, दमोह, सिंगरौली, झाबुआ एवं पन्ना के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, एवं

(ख) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(7) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री,** महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(8) **श्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(9) **श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार- मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(10) **श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन,** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य,** भिण्ड जिले के लहार में विद्युत सामग्री के चोरी प्रकरण पर कार्यवाही न किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य,** कटनी जिले में स्थित सीमेंट प्लांट एवं कुटेश्वर सेल माइन्स द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार न दिये जाने की ओर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री मेवाराम जाटव, सदस्य,** भिण्ड जिले की तहसील गोहद के ग्राम देनुआ से शैखूपुरा होते हुए अन्धेयारी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री संजय यादव, सदस्य,** जबलपुर जिले के बरगी जनपद अंतर्गत ग्राम न्यू हरदुली में पेयजल की समस्या का निराकरण कराये जाने,

(3) **श्री हर्ष यादव, सदस्य,** सागर जिले के देवरी अंतर्गत बरांज सिंचाई परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने,

(4) **श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम पडरिया से रोरा तक स्थित नहर को पक्का किये जाने,

(5) **श्री मुकेश रावत (पटेल), सदस्य,** अलीराजपुर जिले के ग्राम चचरियाउम्दा के जमरा फलिया में पुलिया निर्माण कराये जाने,

(6) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर जिले के वार्ड क्र. 18 दीनदयाल नगर के डी सेक्टर से बी.एस.एफ. कालोनी के जी सेक्टर तक नाले का निर्माण व पटाव कार्य कराये जाने,

(7) **श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य,** दमोह जिले के हटा अंतर्गत भैंसा से जरोदा मार्ग निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री अनिल जैन, सदस्य,** निवाड़ी जिले में केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ कराये जाने,

(9) **श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य,** दमोह जिले के विकासखण्ड जबेरा में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,

(10) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य,** धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत ग्राम पटलावदिया के गोविन्दपुरा में बोमडिया नदी के छोटे झीरे के पास स्टापडेम निर्माण कराये जाने,

(11) **श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम संगेसरा जनपद पंचायत बाजना में पाटी के माल में सिंचाई हेतु तालाब निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री संजय शर्मा, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के ग्राम खमरिया से भिण्डवार तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य,** पन्ना जिले के पवई अंतर्गत रैपुरा में महाविद्यालय खोले जाने,

(14) **श्री रामचन्द्र दांगी, सदस्य,** राजगढ़ जिले के ग्राम खाकरातेजा से अमरपुरा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(15) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य,** नीमच जिले के ग्राम काली कोटडी से भाटखेड़ा तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(16) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य,** खरगोन जिले के ग्राम बमनाला में पुलिस चौकी भवन स्वीकृत करने,

(17) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम सुजापुर व ढोढर में बालिका छात्रावास भवन स्वीकृत करने,

(18) **श्री प्रागीलाल जाटव, सदस्य,** शिवपुरी जिले के करैरा अंतर्गत ग्राम लमकना से गोपालपुरा तक पुन: सड़क निर्माण कराये जाने,

(19) **श्री घनश्याम सिंह, सदस्य,** दतिया जिले के सेंवढ़ा अंतर्गत गोदन माईनर नहर की ग्राम ऊचिया रोड से कामड रोड तक पुन: सड़क निर्माण कराये जाने,

(20) **श्री भूपेन्द्र मरावी, सदस्य,** डिण्डौरी जिले के शहपुरा अंतर्गत ग्राम गुरैया मुख्य मार्ग से टिकरा खमरिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(21) **श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी, सदस्य,** खरगोन जिले के ग्राम पंचायत भसनेर में कुंदा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(22) **श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य,** उज्जैन जिले के नागदा को जिला बनाने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित कर जिला घोषित कराये जाने,

(23) **श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के ग्राम समनापुर (रम्पुरा) में एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला हेतु नवीन भवन स्वीकृत करने,

(24) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य,** कटनी जिले की 08 ग्राम पंचायतों को तहसील मुख्यालय में परिवर्तित किये जाने,

(25) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले के ग्राम पंचायत अहेरवास के नयापुरा में मांगलिक भवन निर्माण कराये जाने,

के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण .....

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 1 मार्च, 2023